जाती हैं और दिल्ली प्रशासन, स्थानीय धार्मिक नेताओं से परामर्श लेता है।

साहित्य रत्न स्नातक

167. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व यह निर्णय किया गया था कि उन कर्मचारियों को, जो प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साहित्यरत्न स्नातक हैं, 170-300 रुपये का वेतन क्रम दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ साहित्य-रत्न स्नातकों को अभी तक यह वेतन-क्रम नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनको वह वेतन-क्रम कब दिया जायेगा ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। अप्रैल 1966 में यह निर्णय किया गया था कि अंग्रेजी में मैट्रिक के साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की हिन्दी साहित्य रत्न की योग्यता रखने वाले व्यक्ति दिल्ली के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 170-380 रुपये के वेतनमान में (170-300 रु० के वेतनमान में नहीं, जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है), नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित योग्यताओं वाले व्यक्ति स्वतः 170-380 रुपये का वेतनमान पाने के हकदार नहीं हो जाते। भर्ती के निर्धारित नियमों के अनुसार भाषा अध्यापक के पद पर नियुक्त होने पर ही उन्हें वह वेतनमान दिया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, नई दिल्ली

168. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, नई दिल्ली के एक अन्वेषण-छात्र, श्री वेद प्रताप वैदिक को इस संस्था से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपनी अन्वेषणपूर्व परीक्षा एक भारतीय भाषा के माध्यम से दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त छात्र से लगभग 4500 रुपये की उस राशि को लौटाने को कहा गया है जो उसे छात्रवृत्ति के रूप में मिली थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) स्कूल के नियमों के अनुसार, पूर्व-अनुसन्धान परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। श्री वैदिक ने एक प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया था और उन्हें उस प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था। पूर्व-अनुसन्धान परीक्षा के लिए निर्धारित बाकी प्रश्न-पत्रों का उत्तर और निबन्ध श्री वैदिक ने हिन्दी में लिखा, हालांकि उनको स्पष्ट हिदायतें दे दी गई थी कि इस प्रयोजन के लिए अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया जायेगा। इसलिए उनके प्रश्न पत्रों और निबन्ध का मूल्यांकन नहीं किया गया और उन्हें अनुपूरक परीक्षा में बैठने का एक मौका और दिया गया। अनुपूरक परीक्षा में बैठने से मना करने पर उनका नाम स्कूल से दिसम्बर, 1966 से काट दिया गया था, क्योंकि पी० एच० डी० डिग्री में दाखिले के लिए पूर्व-अनुसन्धान परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के एक गवेषणा-छात्र को विचार-गोष्ठी से निकाला जाना

169. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या शिक्षा मन्त्री 16 नवम्बर 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्ध भारतीय स्कूल के अनुसन्धान करने वाले एक छात्र को विचार-गोष्ठी से इसलिये निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक भारतीय भाषा का प्रयोग किया था ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में सरकार ने क्या जांच की है और जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) सम्बन्धित छात्र इस कारण विचार-गोष्ठी से नहीं निकाल दिया गया था कि उसने एक भारतीय भाषा का प्रयोग किया था बल्कि जब उससे अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा गया जिससे विचार-गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी लोग उसकी बात समझ सकें तो उसने स्वयं यह घोषित किया कि वह बाहर चला जाएगा। जब विचार-गोष्ठी के सभापति ने कहा कि उनको उसके बाहर चले जाने में कोई आपत्ति नहीं है तो वह छात्र तर्क करने लगा और गलत बतीव करने लगा। तब विचार-गोष्ठी के सभापति ने उससे चले जाने को कहा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूरन छपरा (बिहार) में उप-डाकघर

170. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में बिहार में चम्पारन जिले में पूरन छपरा नामक स्थान पर एक उप-डाकघर जिसमें टेलीफोन की व्यवस्था हो, खोलने का निर्णय किया गया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी नहीं। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर दर्जा बढ़ाकर उसे उप-डाकघर बना देने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था करने का कोई भी प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है।

शिक्षा मन्त्रालय के प्रकाशन

171. श्री राम चरण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा कितने मासिक तथा पाक्षिक प्रकाशन निकाले जाते हैं और प्रत्येक प्रति का मूल्य क्या है ;

(ख) इनके ग्राहकों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) इन प्रकाशनों को प्रकाशित करने के कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों पर कुल कितना वार्षिक खर्च आता है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). मुख्य मन्त्रालय में एक भी नहीं। अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।